झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या 3432 वर्ष 2018

1. बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द्वारा अध्यक्ष, झारखण्ड केन्द्र, राँची

2. एक्सेल वेंचर कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत, निगमित कंपनी के प्रबंध निदेशक, संजीत के माध्यम से

3. सुनील कुमार श्रीवास्तव ... . याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य द्वारा मुख्य सचिव, परियोजना भवन, धुर्वा, रांची

2. अपर मुख्य सचिव, योजना और वित्त विभाग, परियोजना भवन, धुर्वा, रांची

3. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, एफ0एफ0पी0 बिल्डिंग, धुर्वा, रांची

4. अध्यक्ष, राज्य अनुसूची दर समिति–सह–अभियंता प्रमुख/सी0ई0, कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता विभाग, अभियंता हॉस्टल, धुर्वा, रांची

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्त्ताओं के लिए: श्री अरूण, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री मोहन कुमार दुबे, ए0जी0 के ए0सी0

05.01.2021 वर्तमान रिट याचिका को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया गया।

वर्तमान रिट याचिका, उत्तरदाताओं को यह निर्देश देने के लिए दायर किया गया है कि बोलियों को आमंत्रित करने हेतु बिल ऑफ क्वांटिटीज तैयार करते समय और जी0एस0टी0 लागू करते समय, वर्तमान दिये गए सरकारी अनुबंधों के निष्पादन के लिए अतिरिक्त कर देयता जो जी0एस0टी0 लागू होने या जी0एस0टी0 लागू होने की पश्चात की अवधि में अनुसूची की दरों के बिना अद्यतन किये है, को वे स्वयं वहन करें। याचिकाकर्त्ताओं ने उक्त तिथि से पहले जारी अनुबंध के लिए, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी जी0एस0टी0 की शुरूआत केबाद से सरकारी अनुबंधों पर अप्रत्याशित अतिरिक्त कर बोझ के प्रभाव को बेअसर करने के लिए उत्तरदाताआं पर निर्देश जारी करने और अब से अप्रभावी जे0वी0ए0टी0 क स्थान पर लागू होने वाले जी0एस0टी0 में राज्य एस0आर0आर0 को अद्यतन करने का प्रार्थना किया है।

पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और यह भी ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्त्ता ने सचिव–सह–आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची सहित प्रतिवादी–अधिकारियों के समक्ष पहले ही अभ्यावेदनदे चुके हैं, जिस पर उचित निर्णय होना बाकी है, मामले की योग्यता में प्रवेश किए बिना, याचिकाकर्त्ताओं को प्रधान सचिव, वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची के समक्ष वर्तमान मुद्दे पर एक नया अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है। उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, याचिकाकर्त्ताओं के प्रतिनिधि को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद उक्त प्रतिवादी, अभ्यावेदन दाखिल करने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर एक उचित सूचित निर्णय लेगा।

रिट याचिका को पूर्वोक्त स्वतंत्रता और निर्देश के साथ निपटाया जाता है।

. (राजेश शंकर, न्याया0)